

**30.06.2021 तक एपीडा की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत  
एपीडा वित्तीय सहायता की निरंतरता**

प्रिय निर्यातकों,

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा 9 फरवरी, 2021 को जारी कार्यालय ज्ञापन सं. फा. सं. 42(02)पीएफ-  
II/2014 के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत  
एपीडा वित्तीय सहायता को 30.06.2021 तक जारी रखा जाएगा।

अतः वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत नए प्रस्तावों को आमंत्रित किया जाता है  
जिन्हें 30.06.2021 तक पूरा करना होगा।

यह भी ध्यान दिया जाए कि यदि इस संबंध में व्यय विभाग द्वारा दी गई किसी भी विशिष्ट छूट के अधीन  
किसी योजना को स्वीकृत और अनुमोदित नहीं किया गया हो तो इस तिथि से आगे कोई भी धनराशि जारी  
नहीं की जाएगी।

यह सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ जारी किया जाता है।

एस.एस. नैय्यर  
महाप्रबंधक  
07.05.2021